न्यायालय, उप समाहर्ता भू0सु0 सदर, मेदिनीगनर

दा0ख0 अपील सं0 33/15–16

सुरेन्द्र राम एवं अन्य – अपीलार्थी

बनाम

जागृति देवी – विपक्षी

आदेश

5.02.17

अपीलार्थी ने यह दाखिल अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, पाटन द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 184/14–15 में दिनांक 26.07.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, उस आदेश के द्वारा ग्राम – जयपुर, थाना – पाटन, जिला – पलामू का खाता नं0– 30 प्लौट नं0 15 रबका $0.07\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी थी।

उभव पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का संक्षेप में मुख्य दावा है। के ग्राम जयपुर के खाता नं0 30 प्लौट नं0 15 रकबा 1.95 एकड़ भूमि विगत सर्वे खतियान में मखन चमार के नाम से दर्ज थी। अपीलार्थी मखन चमार का वंशावली देते हुए दावा किया है कि अपीलार्थी एवं विपक्षी के विक्रेता खतियानी रैयत मखन चमार मखन चमार का वारिशान है। अपीलार्थी के अनुसार विपक्षी के विक्रेता प्यारी राम तथा उसके पुत्र सुरेन्द्र राम एवं पुत्री लीलम देवी को तीनों को मिलाकर प्लौट नं0 15 रकबा 1.95 एकड़ भूमि में $\frac{1}{30}$ वाँ हिस्सा यानी $0.6\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि हिस्सा होता है।

जिसमें प्यारी राम का $0.02\frac{3}{2}$ एकड़ हिस्सा है जबकि प्यारी राम ने अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्री कर दी है।

अपीलार्थी ने यह भी दावा किया है कि इस विक्री के पूर्व प्यारी राम ने वर्ष 1988 में ही रकबा $0.07\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि कृष्णानन्दन राम वगैरह को विक्री कर दी है। उक्त विक्री के बाद प्लौट नं0 15 में प्यारी राम को कोई भूमि नही बचती है जबकि प्यारी राम ने विपक्षी के साथ $0.07\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि विक्री की है जो बिल्कुल अवैध है और उक्त केवाला के आधार पर किया गया दाखिल खारिज अवैध है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी पाटन द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर बिना विचार किए ही अवैध एवं फर्जी केवाला पर दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो निरस्त किए जाने के योग्य है।

विपक्षी द्वारा दूसरी ओर किया गया दावा का शरांश यह है कि ग्राम जयपुर का खाता नं0 30 कुल रकबा 2.73 एकड़ भूमि विगत सर्वे खतियान में मखन चमार के नाम से दर्ज है। मखन चमार ने अपने पीछे दो पुत्रों (1) घुरा चमार (2) पुरन चमार को छोड़कर निधन हो गया। तत्पश्चात दोंनो पुत्र खाता नं0 30 की भूमि के दखल कब्जा में आए तथा बाद में आपस में भूमि का बॅटवारा कर अपने–अपने हिस्से के भूमि के दखल कब्जा में आ गये हैं। आपसी बटवारा में पुरन चमार को प्लौट नं0 15 में रकबा 1.00 एकड़ एवं प्लौट नं0 16 में 0.38 एकड़ कुल रकबा 1.38 एकड़ भूमि हिस्से में मिली जबकि घुरा चमार को प्लौट नं0 14 में रकबा 0.04 एकड़ आवासीय भूमि, प्लौट नं0 15 में 0.95 एकड़ एवं प्लौट नं0 16 में 0.39 एकड़ कुल रकबा 1.38 एकड़ भूमि हिस्से में आवंटित हुई, जिसके अनुसार दोनो भाई भूमि के दखल कब्जा में आए। पुरन राम अपने जीवन काल में प्लौट नं0 15 में रकबा 0.05 एकड भूमि पर आवासीय मकान बना कर रहते थे तथा प्लौट नं0 15 की शेष भूमि घर बारी के रूप में उपयोग में लाते थे। पुरन राम का अपना पीछे पाँच पुत्रों (1) छठन राम (2) कुलेश्वर राम (3) भगेश्वर राम (4) अन्चु राम (5) अन्चु राम को छोड़कर स्वार्गवास कर गये। पिता द्वारा छोड़ी गयी भूमि के दखल कब्जा में आने के बाद पाचों भाईयों ने भूमि का बॅटवारा कर लिया। प्रत्येक भाईयों को $0.27\frac{3}{5}$ एकड़ भूमि हिस्से में मिली। जिसमें भगेश्वर राम को प्लौट नं0 15 में

$0.27\frac{3}{5}$ एकड़ भूमि हिस्से में मिली। भगेश्वर राम का अपने पीछे दो पुत्रों (1) सुनर (2) प्यारी राम को छोड़कर निधन हो गया। आपसी बँटवारा में प्लौट नं0 15 में सुनर राम $0.13\frac{3}{4}$ एकड़ एवं प्यारी राम को $0.13\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि हिस्से में मिली। तदनुसार दोनों भाईयों प्लौट नं0 15 की भूमि के दखल कब्जा में आए। विपक्षी का दावा है कि प्यारी राम ने पैसों की आवश्यकता आने पर खाता नं0 30 प्लौट नं0 15 में अपने हिस्से एवं दखल कब्जा वाली रकबा $0.13\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि में से रकबा $0.07\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं0 92217 दिनांक 21.10.2013 के माध्यम से विपक्षी को अंतरित कर दखल कब्जा दे दिया है, तब से विपक्षी प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जा में है। विपक्षी का दावा है कि अंचल अधिकारी पाटन द्वारा प्रश्नगत भूमि की स्थलिय जाँच कराने एवं प्रश्नगत भूमि दखल कब्जा के पाए जाने के आधार पर दखल आदेश पारित किया है, जो नियमानुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं हैं। विपक्षी की दावा है कि अपीलार्थी का अपील आवेदन निराधार है, जो खारिज के योग्य है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न ह0 कर्मचारी अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने विगत सर्वे खतियान एपं कृष्णानन्दन राम वगैरह के पक्ष में वर्ष 1988 का निष्पादित केवाला का छायाप्रति दाखिल किया है जबकि विपक्षी ने प्यारी राम द्वारा दिनांक 21.10.2013 का निष्पादित केवाला, विगत सर्वे खतियान, एकरारनामा, दाखिल खारिज शुदी पत्र एवं मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया है, दाखिल खारिज के लिए बिक्रेता का नाम भूमि की जमाबंदी एवं दखल कब्जा ही महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न ह0 कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के बिक्रेता प्यारी राम के दादा के नाम से प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी चल रही है, तथा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी क्रेता का दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि भू–दान हदबन्दी, बासगीत, बन्दोबस्ती एवं सार्वजनिक उपयोग से मुक्त बतलाई गयी है। आम ईश्तहार के बाद किसी के द्वारा आपति

नहीं दी गयी हैं। स्पष्ट है अंचल अधिकारी पाटन द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं तथ्यों पर आधारित है जिसमें हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में दा0खा0 वाद सं0 184/14–15 में अंचल अधिकारी पाटन द्वारा दिनांक 26.07.2014 का पारित आदेश बहाल रखा जाता है अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

05.02.17

उप समा0 भूमि सुधार
सदर मेदिनीनगर

05.02.17

उप समा0 भूमि सुधार
सदर मेदिनीनगर